इंसान पहाड़ों से नहीं, अक्सर छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। –अज्ञात

विचार-प्रवाह

देहरादून, बुधवार, 15 सितंबर 2021

पेज थ्री

www.page3news.in

असल चिंता जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने की

आगे भी आरबीआई के लिए ग्रोथ और महंगाई दर के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। कमॉडिटी के अधिक दाम से उद्योग–धंधों पर भी बुरा असर पड़ेगा क्योंकि उनके लिए कच्चे माल की लागत बढ़ जाएगी। इससे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और महंगे होंगे।

राम वर्मा।।

पेट्रोलियम गुड्स, कमॉडिटी और लो बेस इफेक्ट के कारण मई में थोक महंगाई दर 12.94 फीसदी और खुदरा महंगाई दर 6. 30 फीसदी तक चली गई, जो पिछले 6 महीने में सबसे अधिक है। यह रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 2–6 फीसदी के लक्ष्य से ज्यादा है। यह बुरी खबर है क्योंकि इससे आरबीआई पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का दबाव बढ़ेगा। यह बात और है कि वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि असल चिंता जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने की है। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन और मांग में कमी आने के कारण ग्रोथ कमजोर बनी हुई है। दूसरी तरफ, चीन, अमेरिका और अन्य अमीर देशों में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, जिससे कच्चे तेल और दूसरी कमॉडिटी के दाम और बढ़ेंगे। यानी आगे भी आरबीआई के लिए ग्रोथ और महंगाई दर के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। कमॉडिटी के अधिक दाम से उद्योग–धंधों पर भी बुरा असर पड़ेगा क्योंकि उनके लिए कच्चे माल की लागत बढ़ जाएगी। इससे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और महंगे होंगे। इसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें पेट्रोलियम गुड्स और खाने–पीने की महंगाई दर शामिल नहीं होती। मई में यह पिछले 83 महीनों में सबसे अधिक रही। इसका मतलब यह है कि कंपनियां कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल रही हैं।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) ने जनवरी–मार्च तिमाही में 1,481 कंपनियों के नतीजों का विश्लेषण किया तो पता चला कि उन्हें 1.8 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह उनके प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी ... मार्जिन उन्हें सामान के दाम ढ़ाने से मिल रहा है। इसे हेल्दी नहीं माना जा सकता क्योंकि महामारी के कारण उद्योग–धंधों के बंद होने या कम उत्पादन, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने और पगार घटने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग घटी है। आम ग्राहकों के लिए बुरी खबर इतनी ही नहीं है।

खुदरा महंगाई दर में खाने के सामान की महंगाई मई में 5.01 फीसदी रही, जो इससे पिछले महीने सिर्फ 1.96 फीसदी थी। इसमें खाने का तेल और दाल की कीमतों का बड़ा योगदान है। खाने के सामान के साथ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की महंगाई से गरीबों पर सबसे अधिक चोट पड़ रही है। इससे दूसरी जरूरतों पर खर्च करने के लिए उनके पास कम पैसा बच रहा है। यही हाल रहा तो इससे खपत और घटेगी, जिसका ग्रोथ पर बुरा असर होगा। केंद्र और राज्य चाहें तो पेट्रोलियम गुड्स पर टैक्स घटाकर लोगों को फौरन महंगाई से राहत दे सकते हैं। पेट्रोल के दाम में 61 फीसदी और डीजल में 54 फीसदी टैक्स के मद में जाता है। इससे लोगों, कारोबारियों और रिजर्व बैंक को राहत मिलेगी, कर्ज सस्ता बना रहेगा, खपत को मजबूती मिलेगी। इसके साथ, केंद्र को आर्थिक गतिविधियां तेज करने के लिए राहत पैकेज लाने पर भी विचार करना चाहिए।

क्षमा पर्व

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

प्राचीनकाल से ही हिन्दुओं में मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। प्रायश्चित करने के महत्व को स्मृति और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के अलग–अलग तरीके बताते हैं। दुष्कर्म के लिए प्रायश्चित करना , तपस्या का एक दूसरा रूप है। यह मंदिर में देवता के समक्ष 108 बार साष्टांग प्रणाम , मंदिर के इर्दगिर्द चलते हुए साष्टांग प्रणाम और कावडी अर्थात वह तपस्या जो भगवान मुरुगन को अर्पित की जाती है, जैसे कृत्यों के माध्यम से की जाती है। मूलत: अपने पापों की क्षमा भगवान शिव और वरूणदेव से मांगी जाती है, क्योंकि क्षमा का अधिकार उनको ही है। जैन धर्म में क्षमा पर्व प्रायश्चित करने का दिन है।

संपादकीय

जनगणना में गलतियां

देश में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना पहली बार 2011 में कराई गई। उस जनगणना में जातियों, उप–जातियों, सरनेम, गोत्र, कुल आदि के रूप में 46 लाख कैटिगरी सामने आईं। उस जनगणना में जातियों के बारे में जो ब्योरे दर्ज किए गए, उनमें आठ करोड़ से ज्यादा गलतियां हैं। राज्य सरकारों ने करीब पौने सात करोड़ गलतियां ठीक कर दी हैं, लेकिन अब भी डेढ़ करोड़ जस की तस हैं। हमें लेकिन यह नहीं पता कि सरकारी अधिकारियों ने कुछ ब्योरों को किस आधार पर गलत माना और किस आधार पर उन्हें दुरुस्त किया। वैसे भी जातियों की गणना का मसला काफी जटिल हो गया है। 1901 की जनगणना में बताया गया कि भारत में एक हजार 646 जातियां थीं। 1931 की जनगणना होने तक यह संख्या ढाई गुना बढ़ गई। बताया गया कि देश में 4 हजार 147 जातियां हैं। 1931 की जनगणना के बाद से देश में जातियों की संख्या एक हजार गुना बढ़ चुकी है।

इस साल 10 अगस्त को आखिरकार सरकार ने 2011 की जनगणना को अशुद्ध करार दिया। उसने वादा किया है कि हर दस साल पर होने वाली जनगणना जब पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद एक और जातिवार जनगणना कराई जाएगी। भारत सरकार को लेकिन यह पूछना चाहिए कि जातिवार जनगणना की जरूरत क्या है? और क्या उसमें पक्षपात नहीं होगा?

मंडल कमिशन ने सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की थी। वीपी सिंह सरकार ने जब वह सिफारिश लागू की, लगभग तभी से ओबीसी लिस्ट में अपर कास्ट की घुसपैठ शुरू हो गई।

अपर कास्ट की घुसपैठ

नीरज कौशल।।

देश में आरक्षण और जातिवार जनगणना को लेकर बहस नए सिरे से तेज हो रही है। ऐसे में जो असल में पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें चौकन्ना हो जाना चाहिए क्योंकि जो कथित बड़ी जातियां हैं, वे केंद्र और राज्य सरकारों की व्ठब लिस्ट में घुस आई हैं। वे उस आरक्षण का लाभ ले रही हैं, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए।

ओबीसी की राज्यों और केंद्र सरकारों की लिस्ट में अपर कास्ट की घुसपैठ रातोरात नहीं हुई। मंडल कमिशन ने सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की थी। वीपी सिंह सरकार ने जब वह सिफारिश लागू की, लगभग तभी से ओबीसी लिस्ट में अपर कास्ट की घुसपैठ शुरू हो गई। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में आरक्षण के लिए राज्य की जो ओबीसी लिस्ट है, उसमें आर्थिक रूप से पिछड़ी कई जातियां हैं। इनमें गौड़ सारस्वत ब्राह्मण भी हैं। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण दरअसल सारस्वत ब्राह्मणों का हिस्सा हैं। मेरी मां बताती थीं कि समाज में सारस्वत ब्राह्मणों का स्थान इतना ऊंचा था कि उन्हें पूजने लायक माना जाता था। तमिलनाडु और केरल में अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट देखें तो पता चलता है कि सौराष्ट्र ब्राह्मण जैसी ऊंची जातियां उनमें शामिल हैं।

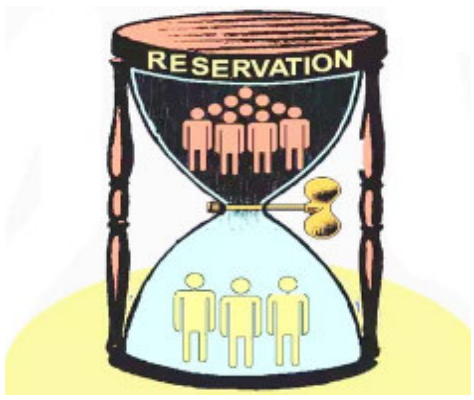

जाति व्यवस्था में अपने दर्जे के चलते ब्राह्मणों का जीवन दूसरों के मुकाबले आसान रहा। व्यवसाय के रूप में उनका काम था धर्म–कर्म की चीजें पढ़ना–पढ़ाना और पूजा–पाठ वगैरह करना–कराना। इसके बदले में उन्हें खाने–पीने की चीजें, कपड़े और दूसरे उपहार दिए जाते थे। रहने का इंतजाम भी या तो मंदिर में या उसके आसपास कर दिया जाता था। मंडल कमिशन के मुताबिक, ओबीसी उन्हें माना जाता है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हों। ऐसे में यह एक पहेली ही है कि ब्राह्मण कब, कैसे और क्यों सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हो गए।

राज्यों की ओबीसी लिस्ट में राजपूत भी हैं। उत्तराखंड में लोधी राजपूत और पंजाब में कश्यप राजपूत। राजपूत का मतलब है राजा का बेटा। एक जाति के रूप में देखें तो राजपूतों ने कई सदियों तक भारत के तमाम इलाकों पर राज किया।

जाति क्रम में भी योद्धा और शासक के रूप में उनका दर्जा हमेशा सबसे ऊंचा रहा। ऐसे में राज करने वाली जाति को 'पिछड़ा' कैसे कहा जा सकता है? महाराष्ट्र में खुद को छत्रपति शिवाजी का वंशज बताने वाला मराठा समुदाय ओबीसी लिस्ट में आना चाहता है। राज्यों की ओबीसी लिस्ट में कई ऐसी जातियां भी हैं, जिनके पास अच्छी–खासी जमीन है। राजस्थान में पटेल समुदाय ऐसा ही है। जाट समुदाय भी इसी तरह का है। सबसे बड़ी विडंबना है कथित नीची जातियों के लिए। इनमें न केवल मराठा, बल्कि दलित भी शामिल हैं। खुद को लड़ाकों में बदलकर उन्होंने अपने ऐतिहासिक पिछड़ेपन से पीछा छुड़ाया और शासक भी बने। मसलन, सिंधिया और गायकवाड़। फिर किसने हिमाकत की इन जातियों को ओबीसी बताने की? ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अच्छी–खासी जमीन रखने वाली जातियों के कारण ही कई जातियां पिछड़ गईं। इन ऊंची जातियों ने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई और जो रीति–रिवाज थोपे, उनके चलते असल ओबीसी के हाथों से मौके छिन गए। इन असल ओबीसी का जीवन छोटे–मोटे धंधों में फंसकर रह गया। ऊंची जातियों ने सामाजिक, आर्थिक और पेशागत सीमाएं तय कीं और इन असल ओबीसी को उन्हें पार नहीं करने दिया गया।

सूडोकु नवताल- 5351

*****

			2					4
			6					1
	5		8			2		3
		7					6	
	3					8		
1		6			3		7	
2					5			
8					4			

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
- पहेली का केवल एक ही हल है।

सूडोकु नवताल -5350 का हल

6	5	4	3	1	9	7	2	8
7	2	3	5	8	4	9	6	1
8	9	1	7	2	6	3	4	5
1	7	2	8	3	2	5	9	4
4	3	8	9	6	5	1	7	6
5	6	9	4	7	1	8	3	2
2	8	7	1	4	3	6	5	9
9	1	6	2	5	7	4	8	3
3	4	5	6	9	8	2	1	7

अपना ब्लॉग

जन्म लेना अपने आप में अभिशाप

मोहन। एक समय किसी नीची मानी जाने वाली जाति में जन्म लेना अपने आप में अभिशाप था। लेकिन आधुनिक भारत में कई जातियां मांग कर रही हैं कि उन्हें 'पिछड़ा' मान लिया जाए। वे दरअसल आरक्षण का फायदा लेना चाहती हैं। सामाजिक दायरे में वे ऊंची जाति के दर्जे का फायदा ले रही हैं और आर्थिक दायरे में आरक्षण के लाभ उठाना चाहती हैं। इस साल 10 अगस्त को संसद के दोनों सदनों ने 127वें संशोधन विधेयक को एकमत से पास किया। इस बिल ने राज्यों का एक अधिकार बहाल किया। अब वे तय कर सकते हैं कि ओबीसी की उनकी लिस्ट में कौन जाति रहेगी, कौन नहीं। इससे एक नया बवाल शुरू होगा। ऊंची जातियां जोर लगाएंगी कि उन्हें ओबीसी लिस्ट में रख दिया जाए। नेता वोटों के लिए उनकी बात मान लेंगे। ओबीसी की लिस्ट राज्य के स्तर पर तैयार होनी ही चाहिए क्योंकि हो सकता है कि कोई जाति किसी राज्य में पिछड़ी हो और दूसरे राज्य में न हो।